

क्रम नं परीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3
	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>(1)कुन्ती देवी, पति स्व० विनोद राम (2)जीबलाल राम, पिता स्व० जानकी राम उर्फ जानकी भुईयां, ग्राम-कटकमदाग, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-कटकमदाग, थाना नं०-87, खाता संख्या-171, प्लॉट संख्या-2118, 2124, रकबा-2.50डी०, 1.50डी०, कुल रकबा-04 डी० भूमि (1)विनोद राम (2)महेश्वर कुमार रंजन दोनों के पिता श्यामलाल राम, ग्राम-कटकमदाग, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदकों एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-444/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-2261/रा० दिनांक-21.06.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमदाग को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के पत्रांक 112 दिनांक 30.01.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक रलीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -</p> <p>क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि आवेदकों को खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत मैनी भुनी वगै० हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकबा 1.15 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकबा 0.73 एकड़ है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-171/III पर मैना भुईनी वगै० के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2021-22 तक लगान रसीद निर्गत है। जमाबंदी रैयत आवेदकों के दादा ससुर एवं पिता है। आवेदकों द्वारा धारित कुल रकबा/आवेदकों के हिस्से की भूमि 0.24 एकड़ है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदिका के पास अन्य खाता मिलाकर रकबा-0.52 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदकों को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिवहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।</p>	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प. कार्रवाई व. टिप्पणी तारीख
1	2	3
	<p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1)कुन्ती देवी, पति स्व0 बिनोद राम (2)जीबलाल राम, पिता स्व0 जानकी राम उर्फ जानकी भुईयां, ग्राम-कटकमदाग, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-कटकमदाग, थाना नं0-87, खाता संख्या-171, प्लॉट संख्या-2118, 2124, रकवा-2.50डी0, 1.50डी0, कुल रकवा-04 डी0 भूमि (1)बिनोद राम (2)महेशर कुमार रंजन दोनों के पिता श्यामलाल राम, ग्राम-कटकमदाग, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अपर समाहर्ता, हजारीबाग</p> <p>अपर समाहर्ता, हजारीबाग</p>	